पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील के साथ धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 5.9.2017 की जानकारी दिनांक 27.6.2018 को बैंक से ऋण प्राप्त करने व के0सी0सी0 कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल लेने पर हुई । इससे पूर्व आदेश की जानकारी नहीं थी । अतः विलंब क्षमा करने योग्य है ।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर विलंब को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन भमि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 30.6.1992 को डिक्री पारित कर सबला वस नंदा पुत्र नाथू गुर्जर को खातेदार घोषित किया गया जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 493 दिनांक 19.6.1993 स्वीकृत किया गया । इसके बाद सबला व नंदा के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 2765 दिनांक 13.6.2011 को भी स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् सबला व नंदा के वारिसान के मध्य सहमति से बंटवारा होने पर तहसीलदार, अजमेर के आदेश दिनांक 10.8.2011 की पालना में नामांतकरण संख्या 2780 दिनांक 26.9.2011 स्वीकृत हो गया । यह भी कथन किया कि सबला के वारिसान द्वारा खसरा नंबर 824 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2012 को बैचान होने से नामांतकरण संख्या 2124 दिनांक 20.6.2012 को स्वीकृत किया गया । अपीलांट खातेदार काश्तकार रहे किन्तु जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.9.2017 के आधार पर खसरा नंबर 538 रकबा 0.30 है0 भूमि दिनांक 5.9.2017 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए गए । ये आदेश बिना सक्षम अधिकारिता के एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किए गए है । इस कारण उन्हें खसरा नंबर 538 रकबा 0.30 है0 की हद तक निरस्त कर अपीलांट को पुनः खातेदार दर्ज किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान वकील अपीलांट ने 1974 आर0आर0डी0 पेज 63 एवं आर0बी0जे0 2012 पेज 159 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 5.9.2017 के तहत जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा मात्र सामान्य पत्र तहसीलदार, अजमेर को जारी कर निर्देश दिए गए कि जिन सरकारी/सिवायचक खसरा नंबर को अनियमित रूप से खातेदारों के नाम अंकित कर दिए गए है, उन खसरा नंबरान को पुनः सरकारी/सिवायचक खातों में नियमानुसार दर्ज करने की प्रक्रिया की जावे । जिला कलक्टर के उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा बाद जांच यह पाया कि आधार जमाबंदी संवत् 2065 से 2084 की खाता संख्या 1 में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नामांतकरण संख्या 493 दिनांक 16.6.1993 का अवैधानिक रूप से खातेदारी अंकित की गई है जिसे निरस्त कर सिवायचक दर्ज करनेके आदेश दिनांक 4.10.2017 को तहसीलदार भू–अभिलेख द्वारा पारित किए गए जिसकी पालना में भूमि सिवायचक दर्ज की गई । पैरोकार सरकार का तर्क है कि मूल आदेश तहसीलदार भू–अभिलेख

द्वारा दिनांक 4.10.2017 को अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज करने बाबत् पारित किए गए है, जबकि अपीलांट द्वारा अपील के जिला कलक्टर के सामान्य दिशा निर्देश (दिनांक 5.9.2017) विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है ।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की उक्तानुसार बहस पर मनन किया । रिकार्ड का अवलोकन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर है कि हाल खसरा नंबर 538 रकबा 0.30 है0 ग्राम घूघरा की खातेदारी को तहसीलदार, अजमेर द्वारा निम्नानुसार अनुशंषा स्वीकृत करते हुए निरस्त कर सिवायचक किए जाने के आदेश दिनांक 4.10.2017 को दिए हैः– '' आधार जमाबंदी 2065–84 के खाता संख्या 1 में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए नामांतकरण संख्या 493 दिनांक 16.6.1993 का अवैधानिक रूप से खातेदारी अंकित की गई है जिसे निरस्त कर सिवायचक किए जाने की अनुशंषा की जाती है ।''

इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार, द्वारा खातदारी समाप्त कर भूमि का सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए गए है । ऐसी स्थिति में ऐसे नामांतकरण की अपील राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है । पैरोकार सरकार ने भी यही दलील दी है । हम पैरोकार सरकार की इस दलील से सहमत है । पैरोकार सरकार के इस तर्क से भी हम सहमत है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 5.9.2017 को सामान्य प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है जिसकी अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण में चस्पा नहीं होते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील पोषणीयता के आधार पर अस्वीकार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को लौटाई जाती है ।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर कम हो ।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक को सुनाया गया ।